मुख्यमंत्री चारा विकास नीति

Govt. of Uttarakhand

(वर्ष 2022–27)

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची

क0सं0	विवरण	पेज सं0
1	प्रस्तावना	3
2	प्रदेश में चारा उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य	3
3	चारा नीति की आवश्यकता	4
4	चारा नीति का उद्देश्य	5
5	चारा उत्पादन कार्य में आने वाली मुख्य बाधायें	6
6	प्रदेश में चारा विकास के अवसर	7
7	चारा नीति की परिकल्पना	9
8	चारा नीति की अवधि	9
9	प्रदेश में चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु भविष्य में अपनायी जाने वाली रणनीति 1 अल्प–अवधि (Short-term) 2 मध्य–अवधि (Mid-term) 3 लम्बी–अवधि (Long-term)	9
10	वित्तीय उपाशय	15
11	चारा उत्पादन कार्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन, उनके कार्य एवं दायित्व	20
12	चारा नीति के लाभ	22
13	वित्तीय उपाशय का सारांश	22
14	संक्षिप्त अक्षर	23

पशुधन विकास हेतु मुख्यमंत्री चारा विकासनीति
(वर्ष 2022 से 2027 तक)

प्रस्तावना:

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे कृषि एवं पशुपालन, आय सृजन का महत्वपूर्ण साधन हैं। पशुपालन आधारित व्यवसाय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और किसी न किसी रूप में घरेलू आर्थिकी, स्वरोगार एवं खाद्य सुरक्षा में सीधे योगदान करता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों की लागत मे पशु आहार पर अधिकतम व्यय होता है, जोकि लगभग 70 प्रतिशत से अधिक होता है।पर्वतीय अंचलो की विषम भौगोलिक परिस्थितियो में पशुपालन व्यवसाय को अपनाने में मुख्यतः वर्ष भर पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। चारे के प्रबन्धन एवं अर्जन में कृषकों (मुख्यतः महिलाओं) का काफी समय व्यतीत होता है। इस समस्या को दूर करने से चारे का प्रबन्धन ही नहीं परन्तु महिलाओं का कार्य भी न्यून होगा और इससे बचने वाले समय को वह अपने परिवार को दे सकेंगी।

उत्तराखण्ड के लगभग आधा कृष्य क्षेत्र पर्वतीय ढलानों पर अतिलघु सीढीदार खेतों के रूप में पाया जाता है। जिसमें अधिकांश का क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 (आधी नाली) से कम होता है। पर्वतीय जनपदों में लगभग 90 प्रतिशत कृषिगत क्षेत्र वर्षा आधारित एवं असिंचित है। राज्य में आज भी कृषि– पशुपालन मिश्रित फार्मिंग के रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। पशुधन के स्वामित्य के सौम्यपूर्ण विवरण में 80 प्रतिशत से अधिक पशुओं का स्वायत्व सीमान्त एवं लघु कृषकों के साथ तथा कुछ प्रतिशत पशु (भेड़–बकरी) भूमिहीन पशुपालको द्वारा पाले जाते हैं। राज्य में पशुधन की उत्पादकता को बढाने के लिए न केवल पशुओं की उत्पादक क्षमता (अनुवांशिक सुधार) की जरूरत है, बल्कि हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की कमी को दूर करने हेतु राज्य की चारा नीति में समावेश किया जायेगा।

प्रदेश में चारा उत्पादन वर्तमान में परिदृश्य–

उत्तराखण्ड में वर्ष 2019 पशु संगणना के अनुसार पशुओं की कुल संख्या 43.825 लाख है, जिसमें गौवंशीय, महिषवंशीय, भेड, बकरियां तथा अश्ववर्गीय पशुओं की संख्या क्रमशः 18.52, 8.66, 2.85, 13.72 तथा 0.075 लाख है। वर्ष 2019 पशु संख्या के आधार पर हरे एवं शुष्क चारे की कुल वार्षिक आवश्यकता 198 लाख मी० टन है, जिसमें हरा चारा 156.5 लाख मी० टन तथा शुष्क चारा 41.50 लाख मी० टन है। इस प्रकार मे चारे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अन्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रदेश में कुल 49.50 लाख मी० टन हरे चारे, एवं 7.112 लाख मी० टन शुष्क चारे की कमी है। प्रदेश में पाये जाने वाले कुल पशुधन संख्या को चारा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत (1.12 लाख है0) क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, जो खेती योग्य भूमियों से भिन्न प्रकार की भूमियों में जैसे बंजर/परती, गौचर भूमि आदि का उपयोग कर चारा उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता हैं। चारे के अन्तर्गत सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में मांग के सापेक्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा क्षेत्रफल में विस्तार किया जाना, उच्च गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती की आधुनिक प्रणाली (मिश्रित एवं अन्तर्वर्ती खेती) अपनाकर चारा उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की जा सकती है।

मुख्यमंत्री चारा विकास नीति की आवश्यकता–

(1)राज्य मेवर्ष भर चारा उत्पादन –

राज्य मे 11 पर्वतीय जनपद एव 2 मैदानी जनपद है जहॉ पर चारा फसलो का उत्पादन वर्षभर एक समान नही होता। जिससे पशुधन उत्पाद की उत्पादकता मे कमी आती है। इसी लिए राज्य के चारा नीति मे वर्ष भर चारा उत्पादन के सभी घटको का समावेश किया जाएगा। जिससे चारे की कमी को पूरा किया जाएगा। इस हेतु पर्वतीय जनपदो मे मौसमी चारा फसल जैसे मक्का, जई, मक्चरी, एवं लोबिया आदि, मैदानी क्षेत्रो मे बरसीम, बाजरा, चरी, मक्का आदि को सम्मिलित करते हुए फसल चक्र को अपनाया जाएगा। तथा सिल्वी पाश्चर पद्धाति के माध्यम से चारा वृक्षो एवं बहुवर्षीय चारा फसलो से अधिकतमचारा काउत्पादन प्राप्त किया जाएगा।

(2) चारे का राज्य के सभी क्षेत्रो मे संतुलित विपणन–

पशुधन के विकास की व्यवहारिकता विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे उच्च उत्पादक क्षमता वाले पशु, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रबन्धन एवं पशुओं के संतुलित आहार और उत्पाद के कुशल विपणन आदि। अनुवांशिक क्षमता एवं स्वास्थ्य देखभाल पशुउत्पाद की निरन्तरता के लिए उपयोगी है जबकि संतुलित आहार के द्वारा लाभ में वृद्धि की जा सकती है। इसीलिए चारा एवं दाना की गुणवत्ता सीधे तौर पर लाभप्रदत्ता की ओर इंगित करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचन क्षमता के अभाव के कारण हरे चारे का उत्पादन, उपलब्धता एवं वितरण सम्पूर्ण वर्ष एक समान नहीं होता है। हरे चारे की उपलब्धता केवल मानसून के चार माह में प्रचूर मात्रा में रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध चारा घासों की पूर्ण परिपक्वता होने से पूर्व हरी अवस्था में काटकर सांय/अल्प धूप में सुखाकर ''हे'' निर्माण कर संग्रहित किया जाता है (लगभग 4 लाख मी0 टन)। यह सूखा चारा भूसा तथा पुआल की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। ''हे'' का घनत्व बहुत कम होता है, जिससे इसके परिवहन में अधिक खर्च आता है। साथ ही इसका व्यवसाय निकटस्थ गांव एवं विकासखण्ड स्तर तक सीमित होता है। अगर चारा घास की कटाई मशीन (Mower) की सुविधा एवं काम्प्रेस्ड फॉडर ब्लाक मशीन को उपलब्ध कराया जाता है तो भविष्य में अन्तर्जनपद एवं दूरस्थ स्थानों पर सम्पीडित ''हे'' ब्लाक का व्यवसाय उत्तराखण्ड के ग्रामीणों/महिलाओं द्वारा किया जा सकेगा। जिसके फलस्वरूप पशुधन उत्पाद में भी वृद्धि की जा सकेगी।

(3) राज्य मे चारे का क्षेत्रफलमे वृद्वि करना–

पर्वतीय जनपदों में कृषकों की जोतें अत्यन्त छोटी होने के कारण सामान्यतः कृषकों को मात्र 3 से 4 माह तक के लिए खाद्यान्न पर्याप्त होता है तथा वर्ष के 8–9 माह के लिए उन्हें बाजार के खाद्यान्न पर निर्भर रहना पड़ता है। पशुपालकों तथा दुग्धउत्पादकों को प्रेरित किया जायेगा कि घरेलू उपयोग हेतु खाद्यान्नों की व्यवस्था बाजार से बहुत आसानी से किया जा सकता है, परन्तु पशुओं के लिए चारे को बाजार से व्यवस्थित करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादकों को मौसमी चारा उत्पादन के लिए निरन्तर प्रेरित किया जायेगा। वर्तमान परिस्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 2.0 प्रतिशत कृषि भूमि (1200 है0) में मौसमी चारे की खेती करने की संभावना विद्यमान है। जिसमें अतिरिक्त हरा चारा उत्पादन किया जा सकेगा।

(4)चारा खिलाने की विज्ञानिक पदाति को अपनाना–

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चारा खिलाने की पुरानी परम्परा निर्बाध गति से चली आ रही है। पशुपालक पशुओं के सामने फर्श पर ही चारा डाल देते हैं तथा पशुओं को चारा घासों को साबूत (बिना कुट्टी बनाए हुए) खिलाया जाता है। पशुपालकों को चारा खिलाने हेतु नाद, डलिया अथवा चरही का प्रयोग करने के लिए तथा हस्त चलित कुट्टी काटने की मशीनों के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिससे लगभग 30 से 40 प्रतिशत चारा विनिष्ट होने से बचाया जा सकता है।

(5) रोजगार सृजन हेतु चारा विकास–

राज्य मे पशु चारा आपूर्ति के तीन प्रमुख स्रोत है (1) कृषिगत क्षेत्र से फसलों के अवशेष (भूसा, पुआल, कडबी, आलू के डंठल–पत्तियां तथा गन्ने का अगोला (2) विभिन्न क्षेत्रों जैसे वन, उद्यान, परती भूमि, चारागाह आदि में उत्पादित चारा घासें(Fodder grasses) (3) विभिन्न क्षेत्रों जैसे वन, कृषि भूमि, उद्यान, वानस्पतिक शाकों से उत्पादित चारा पत्तियां (Tree leaves)है। चारा आपूर्ति के तीनों स्रोतो के एकीकृत एवं समन्वित विकास से ही राज्य में चारा अभाव का न्यूनीकरण किया जा सकता है। जिससे पशुधन उत्पाद मे वृद्वि होगी तथा रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री चारा विकासनीति का उददेश्य–

1. हरा चारा की उपलब्धता को बढाने हेतु पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. साइलेज के माध्यम से राज्य मे पशुधन की उत्पादकता मे वृद्वि करना।
3. मुख्यमंत्री घस्यारी योजना के माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों (पंचायत स्तर तक) में पौष्टिक चारा पहुंचाना।
4. राज्य के 11 पर्वतीय जनपदो मे औद्यानिक/वन एवं बंजर भूमियो पर आधुनिक कृषि पद्धतियों को समावेशित कर चारा उत्पादन को बढावा देना।
5. प्रदेश में आवश्यकतानुसार पशु आहार निर्माणशाला(चारा ब्लोक एवं केटल फीड) के उत्पादन को बढाने एवं साथ ही कीमतों मे अनुदान के माध्यम से नियंत्रित करना।
6. राज्य के पर्वतीय जनपदों में अतिरिक्त चारा घासों को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग में लाने हेतु "हे" एवं संपीडित चारा ब्लाक तैयार कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृषकों को जागरूक करना।
7. चारे के कुशल प्रबन्धन एवं आधुनिक प्रयोग हेत चैफ–कटर एवं नांद की स्थापना कर चारे की बचत करवाना।
8. राज्य के भूसा गोदामो एवं नये पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना वं विपणन करना।
9. रिक्त भूमि (Common Land) पर ग्रामीण सहभागिता एवं निजि क्षेत्र की सहायता से चारागाह का विकास किया जाना।
10. चारा फसलों के विकास हेतु गो0ब0पन्त विश्वविघालयकी मदद से अनुसंधान, एवं प्रर्दशन इकाई की स्थापना किया जाना।

11. प्राकृतिक आपदा की स्थिति मे प्रभावित क्षेत्रों में चारे (फोडर ब्लोक एवं साइलेज) की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

चारा उत्पादन कार्य में आने वाली मुख्य बाधायें–

राज्य मे पशुधन से प्राप्त विभिन्न उत्पाद की उत्पादकता कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण कम लागत वाले निवेश जैसे फसल अवशेष पर निर्भरता होना है। इसके अलावा वर्षभर चारे की आपूर्ति की निरंतरता के अंतर मुख्यता ग्रीष्मकाल मे चारा आपूर्ति को प्रभावित करती है। राज्य मेंसिंचित भूमि के अभाव से जहां मौसमी चारा फसलों का उत्पादन करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं मौसमी चारे के कुल बोये गये क्षेत्रफल का केवल 15 से 20 प्रतिशत में ही प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जिससे उत्पादकता मे कमी देखी गई है। चारा उत्पादन एवं प्रबंधन मे आने वाली मुख्य बाधायें निम्नवत है–

1. **कृषि जोतों का छोटे–2 भागों में बंटा होना–** कृषि जोतों के अत्यन्त लघु होने एवं बिखरे खेत होने के कारण राज्य मे चारे की खेती करना फिलहाल कठिन है। पशुपालकों को चारे के लिए वनों, चारागाहों, घासस्थलों तथा परती–बंजर भूमि के अतिरिक्त कृषि तथा औद्यानिक फसल अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ता है।
2. **राज्य के पर्वतीय जनपदो मे वर्षा आधारित कृषि का होना–** राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों में 85 प्रतिशत भाग असिंचित या वर्षा आधारित होने से मौसमी चारा फसल उत्पादन अपेक्षाकृत कमहोता है एवं अन्य बहुवर्षीय चारा घासों एवं चारा वृक्षों के रोपण मे भी कठिनाई आती है।
3. **राज्य का अधिक भाग पर्वतीय होना–**राज्य की पशु संख्या में वृद्धि अथवा स्थिरता दोनों ही अवस्थाओं में चारा फसलों एवं चारा घासों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपलब्धता स्पष्ट स्थिति मे नहीं है। इसका प्रमुख कारण मृदा का अवनतिकरण एवं क्षीण प्रबन्धन प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में प्रमुख चारा स्रोत आधारों का निरन्तर संकुचन भी एक कारक है।
4. मानसून अवधि में चारे का उत्पादन, मांग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है जबकि शीत एवं ग्रीष्मकाल मे चारे का नितांत अभाव रहता है। पर्वतीय कृषक या तो चारा संरक्षण की विधियों तथा तकनीक से अनभिज्ञ है अथवा उनके पास संसाधनों का अभाव है, जिस कारण वे अभावकाल मे मानसून अवधि के अतिरिक्त (Surplus)चारे का उपयोग करने मे असमर्थ होते हैं।
5. पशुधन को सान्द्र आहार नहीं खिलाना– पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः गौवंशीय पशुओं जैसे–गाय, बैल तथा भेड़–बकरियों का सान्द्र आहार नहीं खिलाया जाता है। इसका प्रमुख कारण जहां कृषकों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना है, वहीं पशु उत्पादों का व्यावसायिक स्तर के योग्य न होना है।
6. खेती योग्य भूमि पर चारा फसलों के स्थान पर खाद्यान्न/नगदी फसलों को प्राथमिकता दिया जाना।
7. चारा बीज उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रजनक/आधारीय/प्रमाणित चारा बीज का उपलब्ध न होना।
8. खाद्यान्न/नगदी फसलों की तुलना में चारा फसलों हेतु सरकार की ओर से प्रोत्साहन की कमी।
9. बेकार पड़ी भूमियों को चारा उत्पादन के क्षेत्र में लाये जाने हेतु जागरूकता की कमी।
10. चारा उत्पादन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु चारा संवर्ग के कर्मचारियों की भारी कमी।
11. चारा फसलों पर अन्य फसलों की तुलना में पर्याप्त शोध/अनुसंधान का न होना।

प्रदेश में चारा विकास के अवसर–

1.भूमि उपयोग का स्वरूप– प्रदेश मे उपलब्ध बड़ी मात्रा में गैर कृषि भूमि के भूमि उपयोग के तरीको में व्यापक बदलाव कर चारे की कमी को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में विद्यमान भूमि उपयोग के स्वरूप को परिवर्तित कर चारा उत्पादन के उपयोग में लाया जा सकता है।उत्तराखण्ड की कुल 59.92 लाख हेक्टर भूमि उपलब्धहै। जनपद उधमसिंहनगर, हरिद्वार के पूर्ण भाग एवं जनपद नैनीताल तथा देहरादून के आंशिक भाग मैदानी तराई क्षेत्र है। देहरादून एवं नैनीताल जनपद के आंशिक भाग भाबर क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राज्य का शेष अंश पर्वतीय है। वर्ष 2015–16 के अनुसार उपज्य का भूमि प्रयोग निम्नतः है–

क० स०	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल	
		हैक्टयर में	प्रतिशत
1.	वन	3799953	63
2.	कृषि से भिन्न प्रयोजनों मे उपयुक्त भूमि	222173	4
3.	कृषि अयोग्य बंजर भूमि	228016	4
4.	चारागाह इत्यादि	192098	3
5.	शस्यों, उपवनों के अन्तर्गत भूमि	389183	5
6.	कृषि योग्य बंजर भूमि	316898	6
7.	अन्य परती	86000	1.4
8.	वर्तमान परती	57000	1.6
9.	बोया गया वास्तविक क्षेत्र	701030	12

पशुपालन हेतु कम भूमि की आवश्यकता होती है तथा बंजर भूमि, वन पंचायत, सोयम एवं आरक्षित वनों की भूमि का उपयोग पशुओं के चारा उत्पादन हेतु किया जाएगा।यदि ऐसी भूमियों का विकास कर चारा उत्पादन के उपयोग हेतु लाया जाता है तो राज्य मे वर्षभर में पशुओं को हरा चारा मिल सकेगा।

2. अप्रयुक्त फसल अवशेषों का उपयोग–

1. राज्य में प्रतिवर्ष काफी मात्रा में फसल अवशेषों (गेहूं का भूसा, धान की पराली, मक्का एवं ज्वार/बाजरा का तना आदि) को जला दिया जाता है अथवा संरक्षित न किये जाने से नष्ट हो जाता है जबकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)/राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकार के फसल अवशेष जलाये जाने पर निषेधाज्ञा लागू की गयी है, किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन न कराये जाने के कारण फसल कटाई के समय अनेकों किसान फसल अवशेषों को जला देते हैं।
2. राज्य मे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में पेपर उद्योग को फसल अवशेषों की आपूर्ति कर दिये जाने से सूखे चारे की कमी हो जाती है। यदि इन फसल अवशेषों को सुरक्षित कर सूखा चारा हेतु प्रयोग में लाने के लिए कृषकों में जागरूकता लायी जाये तथा उक्त प्रकार के फसल अवशेषों को भारत सरकार द्वारा **आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955** के अर्न्तगत सम्मिलित करते हुए कड़ाई से परिपालन कराया जाये तो काफी सीमा तक इसके दुरूपयोग को रोककर सूखे चारे की कमी दूर की जा सकेगी। जुगाली करने

वाले पशुओं के लिए सूखा चारा अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो न सिर्फ पशुओं का पेट भरता है बल्कि पशुओं के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। उक्त फसल अवशेषों को जलाने पर निषिद्ध करने तथा सूखा चारे के रूप में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने से सूखे चारे की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा।

3. अप्रयुक्त/नष्ट हो जाने वाले फसल अवशेषों को भूसा, हे, साइलेज, एवं सम्पीडित फाडर ब्लाक के रूप में संरक्षित कर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी उपयोग में लाया जा सकेगा जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–2 धन की भी बचत हो सकेगी।
4. प्रतिवर्ष सब्जी मण्डियों में बड़ी मात्रा में सब्जियों के पत्ते, जड़े अथवा अन्य भाग नष्ट/खराब हो जाते हैं, जिन्हें हरे चारे के रूप में उपयोग में लाकर चारे की पूर्ति की जा सकती है।

3. प्रमाणित चारा बीज की आपूर्ति–प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित चारा बीज का उपयोग बहुत कम है। यदि समय से पर्याप्त मात्रा में अनुदान पर गुणवत्तायुक्त प्रमाणित चारा बीजों की अन्य कृषि निवेशों के साथ उपलब्धता बीज उत्पादक संस्थाओं (एन0एस0सी0, बीज विकास निगम इत्यादि) से अनुबन्ध कराकर सुनिश्चित कर दी जाये तो काफी सीमा तक हरे चारे कमी दूर किया जा सकता है। अतः प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किये जांय कि समय से गुणवत्तायुक्त प्रमाणित चारा बीज अन्य कृषि निवेशों के साथ उपलब्ध हो सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यक धनराशि की व्यवस्था चारा विकास योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर करना आवश्यक होगा।ऐसे क्षेत्रों में चारा बैंक, बेलिगं इकाई एवं सम्पीडित फाडर ब्लाक इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाये जहां प्रतिवर्ष सूखे अथवा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है तथा जहां से अन्य स्थानों पर भी मांग की स्थिति में सुगमतापूर्वक आपूर्ति किया जा सके।

4. प्रभावी चारा फसल योजना–प्रदेश में चारा उत्पादन हेतु परम्परागत चारा उत्पादन पद्धति को अपनाया जाता है। प्रतिवर्ष बढ़ रही मानव जनसंख्या के दृष्टिगत खाद्यान्न की मांग एक ओर बढ़ रही है तथा दूसरी ओर कृषि जोते सिमटती जा रही है। ऐसी दशा में खाद्यान्न की बढ़ती मांग के कारण चारा क्षेत्र में विस्तार किया जाना असम्भव है। अतः चारा उत्पादन हेतु प्रभावी फसल योजना तैयार कर प्रति इकाई क्षेत्र एवं समय में कम से कम लागत पर अधिक से अधिक चारा उत्पादन किया जायेगा। फसल योजना तैयार करते समय योजना में सिल्वी–पाश्चर पद्धति, हार्टी–पाश्चर पद्धति को भी समावेश किये जाने पर बल दिया जायेगा। साथ ही वन एवं फल आच्छादित क्षेत्रों में वन/फल वृक्षों के मध्य चारा फसलों की बुवाई हेतु कृषकों को जागरूक किया जायेगा, जिससे न केवल हरे चारे की कमी दूर होगी बल्कि मानव जाति हेतु खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकेगी। वन आच्छादित क्षेत्रों में वन क्षेत्र के चारों ओर प्राथमिकता के आधार पर चारा वाली फसलें बोयी जाने पर कृषकों को प्रोत्साहित/जागरूक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री चारा विकास नीति की परिकल्पना (Vision)–

"राज्य मेंगुणवत्तायुक्तहरे चारे, सूखे चारे एवं दाने के उत्पादन मे वृद्वि करना तथा कम निवेश में वर्ष भर चारे की उपलब्धता बनाये रख कर पशुधन की उत्पादकता मे वृद्वि करते हुएरोजगार के अवसर पैदा करना।"

मुख्यमंत्री चारा विकास नीति की अवधि–

प्रदेश की **चारा नीति वर्ष 2022–2027 तक** निर्धारित की जा रही है जो प्रति 05 वर्ष बाद आवश्यकतानुसार संशोधित की जायेगी।

चारा उत्पादन हेतु रणनीति (Strategy):

1–अल्प–अवधि (Short-term)–

- **हरा चारा–**
  - ❖ चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण (मौसमी चारा मिनिकिट्स वितरण)
  - ❖ प्रति एकड़ हरा चारा उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन राशि
  - ❖ मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
- **सूखा चारा एवं दाना –**
  - ❖ पशु आहार निर्माणशाला हेतु भूसे और परिवहन पर अनुदान
  - ❖ कैटल फीड पर प्रति किलो ग्राम रू 4 का अनुदान प्रदान करना।
  - ❖ राज्य के समस्त कृषि मंडी के माध्यम से कृषि फसल अवशेष उत्पादन के क्रय, विक्रय एवं संग्रहण का कार्य करना।

2–मध्य–अवधि (Mid-term)

- **हरा चारा–**
  - ❖ निजी क्षेत्र/**FPO**/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हरे चारे के रूप में साइलेज निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करना
  - ❖
- **सूखा चारा –**
  - ❖ सूखी चारा घासों (हे) से सम्पीडित फाडर ब्लाक का निर्माण एवं चारे के संरक्षण एवं प्रसंस्करण हेतु मशीनें उपलब्ध करवाना।
  - ❖ सभी चारा बैंको पर सम्पीडित चारा ब्लॉकों के साथ साइलेज का संग्रहण करना।
  - ❖ चैफ–कटर एवं मैन्जर आदि अनुदान एवं वितरण
  - ❖ राज्य मे भूसा गोदामो की स्थापना (4 स्थानो पर)
  - ❖ राज्य मे दो नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला का निर्माण–

3–लम्बी–अवधि **(Long-term)**

- **हरा चारा–**
  - ❖ चारा उत्पादन कार्यक्रम (Silvi-Pasture sytem)
  - ❖ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चारे की आपूर्ति हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराना
  - ❖ चारा फसलों के विकास हेतु भैंसवाड़ा, ऋषिकेश, एवं नरियाल गांव प्रक्षेत्रों में चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जाना।
- **सूखा चारा –**
  - ❖ राज्य के समस्त कृर्षि मण्डी मे कृषि अवषेश हेतु
  - ❖ राज्य के सितारगंज एवं कोटद्वार में 1000 मी0टन उत्पादन क्षमता कीपशु आहार निर्माणशाला की स्थापना करना।
  - ❖ सभी बीज उत्पादन संस्थाओं के साथ सूखे चारे हेतु अनुबन्ध किया जायेगा, जिससे सम्पीडित चारा ब्लाक उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।
  - ❖ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चारे की आपूर्ति हेतु सभी हैली पैडों के निकटवृहदचारा बैंकों की स्थापना।

मुख्यमंत्री चारा विकास नीति हेतु कार्य योजना

1. अल्प–अवधि **(Short-term)**–

- **हरा चारा उत्पादन हेतु–**

(अ). चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण (मौसमी चारा मिनिकिट्स वितरण)–

❖ पशुपालक के द्वार पर हरा चारे बढाने हेतु आगामी वर्षों में चारा बीजका वितरण पशुचिकित्सालय के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है जिससे पशुपालक के द्वारा हरा चारा उत्पादन में वृद्वि किया जा सकेगा। पशुपालन विभाग के द्वारा पशुचिकित्सालय के माध्यम से पशुपालक को उत्तम एवं प्रमाणित बीज की मिनीकिट उपलब्ध कराई जायेगी। खरीफ चारे में मक्का, चरी, बजारा, लोबिया एवं रबी चारे में बरसीम एवं जई के बीज का वितरण किया जायेगा। इस प्रकार मौसमी चारा बीजों के उन्नत प्रजाति के वितरण से राज्य में मौसमी हरा चारा उत्पादन में दो से तीन गुना वृद्वि की जा सकेगी।

❖ प्रतिवर्ष सरकार/विभाग, बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित दर पर निश्चित मात्रा में चारा बीज उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।

❖ उक्त चारा बीज को शतप्रतिशत अनुदान दर पर चारा उत्पादन हेतु प्रगतिशील कृषकों/चारा उत्पादन समूहों/अन्य को बीज मिनीकिट के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब).प्रति एकड़ हरा चारा उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

राज्य में हरे चारे की कमी होने के कारण पशुधन की उत्पादकता में भी प्रतिकुल असर देखा गया है।इस हेतु सभी पशुपालकों को ओर अधिक हरा चारा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिसे प्रति एकड़ हरा चारा उत्पादन करने के उपरांत प्रदान की जायेगी।राज्य में हरे चारे से साइलेज

उत्पादन कर. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना द्वारा प्रस्तावित (उघमसिह नगर एवं हरिद्वार) मे वृहद साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना के माध्यम पशुपालकों को ओर अधिक हरा चारा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिससे साइलेज उत्पादन के लिए हरा चारा उपलब्ध हो पाएगा।

(स). मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना–

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना** का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार (साइलेज) के वैक्यूम बैगउपलब्ध करवाए जाएंगे, जो पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त चारा पशुपालकों को घर पर ही उपलब्ध हो पाएगा। पशु आहार से दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा एवं दुग्ध उत्पादन मे 15–20 फीसदी की वृद्धि भी होगी। साथ ही इस योजना से पशुपालकों के समय और श्रम की भी बचत होगी। इस योजना से पर्वतीय क्षेत्रों के कृषक की पशुपालन मे रूचि बढेगी तथा पशुपालकों की आय मे भी वृद्धि होगी। उत्तराखण्ड के सभी पशुपालक जिनके पास दुधारू पशु है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्य मे इस योजना के संचालन हेतु अनुदान दिया जाएगा जिससे प्रदेश के दुरसत क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय में कार्य करने वाले पशुपालकों को पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त हरा चारा कम किमत पर उपलब्ध हो सकेगा। राज्य मे दो नए वृहद साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना की जानी है। इस हेतु साइलेज निर्माण इकाई उघमसिंह नगर एव हरिद्वार प्रास्तवित है।

- <u>सूखा चारा उत्पादन हेतु–</u>

(अ). पशु आहार निर्माणशाला हेतु भूसे पर अनुदान :–

प्रदेश में कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक उत्पादन की कालसी,ऋषिकेश एवं रूद्रपुर में तीन इकाईयां है। कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक मे 70 से 90 प्रतिशत गेहूं का भूसा तथा 10 प्रतिशत शीरा का उपयोग होता है। प्रदेश में वर्तमान में तीनों इकाईयों का कुल उत्पादन 3250 मिट्रिक टन है, जिसको बढाकर 6500 मिट्रिक टन किया जायेगा। जिसमें कालसी 850 मि0ट0 से 1500 मि0ट0,ऋषिकेश 300 मि0ट0 से बढाकर 2000 मि0ट0 तथा रूद्रपुर में 2100 से 3000 मि0ट0 किया जाना प्रस्तावित है। गेहूं के भूसे को पंजाब एवं हरियाणा से क्रय किया जाता है। इस वर्ष गेहूं के भूसे की कमी के कारण दरों में अप्रत्यासित वृद्धि हुयी है जिसके कारण पशुपालक को भूसा क्रय करने में कठिनाई हो रही है। राज्य के पशुपालकों को कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक उचित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु 6000 मि0ट0 भूसा रू0 5000 प्रति मि0ट0 की दर से अनुदान दिया जायेगा। जिससे पशुपालक को उचित दरों पर कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक उपलब्ध कराया जा सकता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 122 चारा बैंक वितरण ईकाइयां प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर संचालन किया जाता है। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री के द्वारा निर्माण ईकाई से वितरण इकाई तक कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक्स के परिवहन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी, जिसमें 50 लाख की अतिरिक्त परिवहन अनुदान की आवश्यकता है।

कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक के निर्माण में उपयोग होने वाले शीरे की आबकारी विभाग से आंवटन की मात्रा 300 मि0ट0 से बढाकर 650 मि0ट0 किया जाना प्रास्तावित है।

(ब) कैटल फीड खरीद पर पशुपालक को अनुदान–

राज्य में हरे एवं सुखे चारे के अतिरिक्त कैटल फीड का अभाव लगभग 45 से 48 प्रतिशत है। जिससे पशु स्वास्थ एवं उत्पादन क्षमता में कमी देखी गयी है। राज्य के सभी पशुपालकों को अपने पशु हेतु प्रचुर मात्रा में कैटल फीड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैटल फीड पर रू0 4 प्रति कि0 ग्रा0 अनुदान–प्रदान किया जायेगा।

(स)राज्य के समस्त कृषि मंडी के माध्यम से कृषि फसल अवशेष उत्पादन के क्रय, विक्रय एवं संग्रहण का कार्य करना–

राज्य मे स्थापित समस्त कृषि मंडीयो के माध्यम से कृषि फसल अवशेष उत्पादन के क्रय, विक्रय एवं संग्रहण का कार्य किया जाएगा। जिस हेतु फसल अवशेषो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी विचार किया जा सकता है। जिससे राज्य मे सूखे चारा की उपलब्धता को बढाया जा सकेगा।

2. मध्य–अवधि (Mid-term)

- **हरा चारा उत्पादन हेतु–**

(अ).निजी क्षेत्र/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हरे चारे के रूप में साइलेज निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करना।

- ❖ साइलेज निर्माण हेतु प्रदेश के अन्तर्गत प्रगतिशील पशुपालकों/निजी क्षेत्र/स्वयं सहायताके माध्यम से किया जायेगा। साइलेज के निर्माण हेतु आधारभूत सुविधाओं के साथ–2 प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 80 प्रतिशत अनुदान दर पर वित्तीय सहायता अनुबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य हेतुमहिला कृषकों/पशुपालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ❖ साइलेज निर्माण हेतु रूचि रखने वाले अन्य प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों को चिन्हित कर भ्रमण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, जहां पहले से साइलेज निर्माण इकाई स्थापित होगी तथा साइलेज के निर्माण का कार्य किया जा रहा होगा। उन्हें साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराये जायेगी तथा, 20 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।
- ❖ प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों/लाभार्थियों द्वारा अपने पशुओं के उपयोग हेतु साइलेज तैयार करने हेतु कृषि कार्य के रिक्त अवधि में चारा फसलों की बुवाई पर चारा क्षेत्र विस्तार हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दर पर चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

- **सूखा चारा उत्पादन हेतु–**

(ब). सूखी चारा घासो (हे) से सम्पीडित फाडर ब्लाक का निर्माण एवं चारे के संरक्षण एवं प्रसंस्करण हेतु मशीनें उपलब्ध करवाना–

उक्त इकाई की स्थापना हेतु अन्य दूसरे इच्छुक प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों/स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित कर सम्पीडित फाडर ब्लाक का निर्माण इकाई कीलागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत

सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराये जायेगी तथा, 20 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।उक्त कार्य हेतु महिला कृषकों/पशुपालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(स).सभी चारा बैंको पर सम्पीडित चारा ब्लॉकों के साथ साइलेज का संग्रहण एव वितरण करना।

राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में 122 चारा बैंक स्थापित किये जा चुके है। जिनके माध्यम से सभी पशुपालकों को सम्पीडित चारा ब्लाक उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उक्त सभी 122 चारा बैंको में साइलेज भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(द).चैफ–कटर वितरण एवं नांद स्थापना–

उत्तराखण्ड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों मे यदि पशुपालकों द्वारा चारा खिलाने की पद्धति तथा पशुओं द्वारा प्रतिदिन चारे के वास्तविक अन्तःग्रहण पर ध्यान दिया जाय तो मांग एवं आपूर्ति का अंतर और अधिक हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हरा एवं शुष्क चारा खिलाने की पद्धति दोषपूर्ण है। सभी प्रकार के चारे को बिना कुट्टी बनाए उन्हें पशुओं के समक्ष मृदा सतह पर साबुत ही डाल दिया जाता है। इससे पर्याप्त चारा गोबर–मूत्र के साथ मिश्रित होकर एवं पशुओ के खुर से कुचल कर अखाघ हो जाता है। इस पद्धति पर किए गए शोध एव शोध परिणामों से ज्ञात होता है कि लगभग 40 प्रतिशत चारा, नष्ट हो जाता है। इसीलिए महिलाओं के श्रम को बचाने एवं चारे की कमी का पूरा करने के लिए चैफ–कटर मशीन की अतिआवश्यक है। जिस हेतु चैफ कटर एवं नाद स्थापना के लिए रू0 15000 धनराशि जिसमे रू0 10000 चैफ–कटर एवं रू0 5000 धनराशि नादं निर्माण हेतु व्यय की जायेगी।

(य) राज्य मे भूसा गोदामो (4 स्थानो पर) एवं भूसा क्रय करने हेतु रिवाल्विंग फांड की स्थापना–

राज्य में इस वर्ष भूसे की कीमतो में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक बढोतरी हुई है। तथा आने वाले समय मे भी भूसे की कीमतो में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है । इसलिये भूसे की आपूर्ति एवं कीमतो में संतुलन हेतु राज्य में चार वृहद भूसा गोदामो की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है । इस हेतु रूद्रपुर, सितारगंज,ऋषिकेश एवं कोटद्वार में भूसे के भण्डारण हेतु भूसा गोदाम की स्थापना प्रस्तावित है । सभी भूसा गोदामो मे भूसा का क्रय,एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चारे की आपूर्तिहेतु भी रिवाल्विंग फांड का प्रयोग किया जाएगा।

(र)राज्य मे दो नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला का निर्माण–

राज्य मे दो नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला कोटद्वार एवं सितारगंज की स्थापना की जाएगी। जिसमे प्रत्येक इकाई से 1000 मि0टन क्षमता तक सम्पीडित चारा ब्लाक का उत्पादन किया जाएगा।

3. लम्बी–अवधि (Long-term)

- **हरा चारा उत्पादन हेतु–**

(अ). चारा उत्पादन कार्यक्रम–

❖ ऐसे क्षेत्र जहां (जैसे–पर्वतीय जनपदों आदि) सिंचाई के साधनों की मुख्य समस्या है, के प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों/स्वयं सहायता समूहां को **बहुवर्षीय चारा उत्पादन** कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने हेतु बहुवर्षीय चारा फसलें जैसे हाईब्रिड नैपियर, दोलनी घास, राई घास, गुछी घास, सफेद क्लोवर आदि एवं चारा वृक्ष जैसे भीमल, क्वीराल, सुबबूल, सहजन, पदम, सहतूत, खडिक, बांज आदि की 100 प्रतिशत अनुदान दर पर रोपाई हेतु सरकार/विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

- ❖ खेत के किनारे चारों ओर (Crop Border Plantation), उद्यान में फलदार वृक्षों के बीच में खाली स्थान अथवा सिंचाई स्रोत के आस–पास/सड़क के किनारे रोपाई हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दर पर प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों/स्वयं सहायता समूहों को बहुवर्षीय चारा घास की जड़े (हाईब्रिड नैपियर आदि) निःशुल्क उपलब्ध कराकर चारा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- ❖ ग्राम समाज(ग्राम/विकास खण्ड) अथवा सरकारी/गैर सरकारी कब्जामुक्त रिक्त भूमि पर चारा उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुवर्षीय चारा घासें जैसे हाईब्रिड नैपियर, दोलनी घास, राई घास, गुछी घास, सफेद क्लोवर आदि एवं चारा वृक्ष जैसे भीमल, क्वीराल, सुबबूल, सहजन, पदम, सहतूत, खडिक, बांज आदि की 100 प्रतिशत अनुदान दर पर रोपाई हेतु सरकार/विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब). प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चारे की आपूर्ति हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराना (100 प्रतिशत अनुदान)

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं हेतु हरे चारे की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु शत् प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(स).चारा फसलों के विकास हेतु भैंसवाड़ा, ऋषिकेश, एवं नरियाल गांव प्रक्षेत्रों में चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जाना–

चारा फसलों के विकास हेतु बहुवर्षीय चारा घासों के बीज के उत्पादन हेतु राजकीय प्रक्षेत्रों की भूमि पर चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जायेगा। जिससे समस्त चारा विकास के कार्यो हेतु बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- **<u>सूखा चारा उत्पादन हेतु–</u>**

(द).राज्य के सितारगंज एवं कोटद्वार में 1000 मी0टन उत्पादन क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना करना–

राज्य में चारा ब्लाक की उपलब्धता को बढाने हेतु कोटद्वार एवं सितागंज में 1000 मी0टन उत्पादन क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की जायेगी।

(य).सभी बीज उत्पादन संस्थाओं के साथ सूखे चारे हेतु अनुबन्ध किया जायेगा, जिससे सम्पीडित चारा ब्लाक उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी–

राज्य में सूखे चारे की उपलब्धता में वृद्वि करने के लिए सभी बीज उत्पादन संस्थाओं के साथ अनुबन्ध किया जायेगा। जिससे बीज उत्पादन के अतिरिक्त फसल अवशेषों से सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माण कर दुरस्त क्षेत्रों के पशुपालकों को उपलब्ध करायया जायेगा। साथ ही बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को फसल अवशेष का अचित मुल्य प्राप्त होगा।

(र).प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्पीडित चारा ब्लाक की आपूर्ति हेतु सभी हैली पैडों के निकट वृहद चारा बैंकें की स्थापना।

उत्तराखण्ड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सम्पर्क खत्म होने की स्थिति हेतु सभी हेली पैड़ो के निकट वृहद चारा बैंको की स्थापना की जायेगी, जिससे आपदा ग्रस्त क्षेत्रों तक बिना रूकावट के सम्पीडित चारा ब्लाक की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय उपाशय:

1. चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण–

अ) प्रतिवर्ष सरकार/विभाग द्वारा बीज उत्पादक सस्थाओं के मध्य निर्धारित दर पर निश्चित मात्रा में चारा बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।

ब) उक्त चारा बीज शत–प्रतिशत अनुदान दर पर चयनित कृषको/पशुपालकों को चारा उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्ष	लक्ष्य हे0	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	3500	116.00
2023–24	4500	150.00
2024–25	5500	184.00
2025–26	7500	250.00
2026–27	9000	300.00
योग	30000	1000.00

2) **प्रति एकड़ हरा चारा उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।**

रू0 10000 प्रति एकड की दर से

अ)राज्य में हरे चारे से साइलेज उत्पादन कर. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना द्वारा प्रस्तावित (उघमसिह नगर एवं हरिद्वार) मे वृहद साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना के माध्यम पशुपालकों को ओर अधिक हरा चारा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिससे साइलेज उत्पादन के लिए हरा चारा उपलब्ध हो पाएगा।

वर्ष	लक्ष्य एकड	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	4000	400.00
2023–24	6000	600.00
2024–25	8000	800.00
2025–26	10000	1000.00
2026–27	12000	1200.00
योग	40000	4000.00

3) **मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना–**

रू0 200 लाख प्रति निर्माणशाला की दर से

अ)मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार (साइलेज), जो पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त चारा पशुपालकों को घर पर ही उपलब्ध हो पाएगा। पशु आहार से दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा एवं दुग्ध उत्पादन मे 15–20 फीसदी की वृद्धि भी होगी।

प्रस्तावित वृहद साइलेज निर्माणशाला	अनुमानित धनराशि लाख में
1. उघमसिह नगर	200.00
2. हरिद्वार	200.00
योग	400.00

ब) पशुपालकों को पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त हरा चारा कम किमत पर उपलब्ध करने हेतु राज्य मे दो नए वृहद साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना की जानी है। इस हेतु साइलेज निर्माण इकाई उघमसिंह नगर एव हरिद्वार

लगभग 1.5 से 2.0 लाख मि0टन साइलेज प्रति वर्ष उत्पादन हो सकेगा।

प्रास्तवित है।

4) पशु आहार निर्माणशाला हेतु भूसे पर अनुदान –

अ) प्रदेश में वर्तमान में तीनों इकाईयों का कुल उत्पादन 3250 मिट्रिक टन है, जिसको बढाकर 6500 मिट्रिक टन किया जायेगा। राज्य के पशुपालकों को कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक उचित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु 6000 मि0ट0 भूसा रू0 5000 प्रति मि0ट0 की दर से अनुदान दिया जायेगा।

ब) लगभग 6000 मि0टन भूसे पर अनुदान,जिसमें 50 लाख की अतिरिक्त परिवहन अनुदान प्रति वर्ष की आवश्यकता है।

रू0 5000.00 प्रति मि0 टन की दर से एवं रू0 50.00 लाख परिवहन सब्सिडी प्रति वर्ष–

वर्ष	लक्ष्य मि0 टन भूसा	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	6000	350.00
2023–24	6000	350.00
2024–25	6000	350.00
2025–26	6000	350.00
2026–27	6000	350.00
योग		1750.00

5) कैटल फीड खरीद पर पशुपालक को अनुदान–

अ)राज्य में हरे एवं सुखे चारे के अतिरिक्त कैटल फीड का अभाव लगभग 45 से 48 प्रतिशत है। जिससे पशु स्वास्थ एवं उत्पादन क्षमता में कमी देखी गयी है। राज्य के सभी पशुपालकों को अपने पशु हेतु प्रचुर मात्रा में कैटल फीड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैटल फीड पर रू0 4 प्रति कि0 ग्रा0 अनुदान–प्रदान किया जायेगा।

रू0 4.00 सब्सिडी प्रति कि0ग्रा0 कैटल फीड –

वर्ष	लक्ष्य मि0 टन फीड	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	30000	1200.00
2023–24	30000	1200.00
2024–25	30000	1200.00
2025–26	30000	1200.00
2026–27	30000	1200.00
योग		6000.00

6) उघमिता विकास हेतु हे/साइलेज/टी0एम0 आर0/सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माण इकाई की स्थापना–

(अ)उक्त निर्माण इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराये जायेगी तथा, 20 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।

रू0 50.00 लाख प्रति इकाई की अनुमानित दर से–

वर्ष	लक्ष्य	अनुमानित धनराशि लाख में (30 प्रतिशत)
2022–23	2	30.00
2023–24	4	60.00
2024–25	6	90.00
2025–26	6	90.00
2026–27	8	120.00
योग	26	390.00

कृषक अंश (20 प्रतिशत)–रू0 260.00 लाख एवं केन्द्र अंश (50 प्रतिशत)–रू0

650.00 लाख

7)चैफ–कटर एवं नादं निर्माण–

प्रस्तावित चैफ–कटर की स्थापना–500, प्रस्तावित नादं निर्माण–500, प्रति चैफ–कटर की स्थापना पर अनुमानित व्यय–रू0 10000.00 एवं नादं निर्माण हेतु रू0 5000.00

(अ) महिलाओं के श्रम को बचाने एवं चारे की कमी का पूरा करने के लिए चैफ–कटर मशीन की अतिआवश्यक है। जिस हेतु चैफ कटर एवं नाद स्थापना के लिए रू0 15000 धनराशि जिसमे रू0 10000 चैफ–कटर एवं रू0 5000 धनराशि नादं निर्माण हेतु व्यय की जायेगी।

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	250	37.50
2023–24	300	45.00
2024–25	400	60.00
2025–26	700	105.00
2026–27	850	127.50
योग	2500	375.00

8) राज्य मे दो नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला का निर्माण–

अ) प्रदेश मे दो नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कोटद्वार एवं सितारगंज मे चारा ब्लाक के साथ भूसा गोदाम भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 1000 मि0टन सम्पीडित चारा ब्लाक प्रत्येक निर्माणशाल मे उत्पादित होगा।

नए सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला	अनुमानित धनराशि लाख में
कोटद्वार	200.00
सितारगंज	200.00
योग	400.00

9) राज्य मे भूसा गोदामो (4 स्थानो पर) की स्थापना–

अ) राज्य में चार भूसा गोदमो के माध्यम से कुल 5000 मि0टन भूसा संग्रहित किया जा सकेगा। जिससे आने वाले वर्षो मे भूसे के उपलब्धता समान रूप से रहने के साथ मुल्यो मे भी अप्रत्यशित वृद्धि नही हो पाएगी।

ब) इस हेतु रूद्रपुर मे 2000 मि0टन, सितारगंजे ,ऋषिकेश एवं कोटद्वार में 1000 मि0 टन भूसे के भण्डारण हेतु

भूसा गोदाम	लक्ष्य (मि0टन)	अनुमानित धनराशि
रूद्रपुर	2000	400.00
ऋषिकेश	1000	200.00
सितारगंज	1000	200.00
कोटद्वार	1000	200.00
	5000	1000.00

भूसा गोदाम की स्थापना प्रस्तावित है ।

10)**भूसा क्रय करने हेतु रिवाल्विंग फांड की स्थापना**–सभी भूसा गोदामो मे भूसा क्रय हेतु रिवाल्विंग फांड की स्थापना की जा रही है। गोदाम निर्माण के बाद आगमी वर्ष मे प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रा मे भूसा क्रय कर भण्डारण किया जाएगा। जिससे भूसे की किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी।

वर्ष	लक्ष्य (मि0टन)	अनुमानित धनराशि लाख में
रूद्रपुर	2000	100.00
ऋषिकेश	1000	50.00
सितारगंज	1000	50.00
कोटद्वार	1000	50.00
योग	250	250.00

11) हरा चारा उत्पादन–

रू0 एक लाख प्रति है0 की अनुमानित दर से–

अ)प्रगतिशील कृषकों/पशुपालकों/स्वयं सहायता समूहां को **बहुवर्षीय चारा उत्पादन** कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने

ब)खेत के किनारे चारों ओर (Crop Border Plantation), उद्यान में फलदार वृक्षों के बीच में खाली स्थान, ग्राम समाज अथवा सरकारी/गैर सरकारी कब्जामुक्त रिक्त भूमि,

चारा उत्पादन हेतु ऐसे क्षेत्रों (ग्राम/विकास खण्ड) मे चारा विकास किया जायेगा,

वर्ष	लक्ष्य (है0)	अनुमानित धनराशि लाख में
2022–23	20	20.00
2023–24	40	40.00
2024–25	50	50.00
2025–26	60	60.00
2026–27	80	80.00
योग	250	250.00

12) चारा फसलों के विकास हेतु भैंसवाड़ा, ऋषिकेश, एवं नरियाल गांव प्रक्षेत्रों में चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जाना–

अ) चारा फसलों के विकास हेतु बहुवर्षीय चारा घासों के बीज के उत्पादन हेतु राजकीय प्रक्षेत्रों की भूमि पर चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जायगा।

वर्ष	अनुमानित धनराशि लाख में
भैंसवाड़ा,	25.00
ऋषिकेश	25.00
नरियाल	25.00
योग	75.00

ब) यह धनराशि से चारा बीज उत्पादन मे प्रयोग मे होगी तथा इससे चारा बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

13).प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्पीडित चारा ब्लाक की आपूर्ति हेतु सभी हैली पैडों के निकट वृहद चारा बैंकों की स्थापना।–

उत्तराखण्ड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सम्पर्क खतम होने की स्थिति हेतु सभी हेली पैड़ो के निकट वृहद चारा बैंको की स्थापना की जायेगी जिससे आपदा ग्रस्त क्षेत्रों तक बिना रूकावट के चारा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष	अनुमानित धनराशि लाख में
श्रीनगर	**75.00**
चिन्यालीसौड	**75.00**
चम्पावत	**75.00**
भैसवाड	**75.00**
योग	**300.00**

वित्तीय उपाशय का कुल योग	**रू0 16190.00लाख**

(रू सोलह हजारएक सौ नब्बे लाख मात्र)

नोटः उक्त समस्त योजनाओ हेतु पूंजी सब्सिडी नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी जो लगभग रू 2425.00 लाख है।

चारा उत्पादन कार्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन, उनके कार्य एवं दायित्व–

(अ) राज्य स्तर पर–

1–उत्तराखण्ड चारा विकास बोर्ड–

1–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3–सचिव, कृषि, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4–सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–सचिव, पशुपालन,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6–मुख्य महाप्रबन्धक नार्बाड	सदस्य
7–प्रगतिशील पशुपालक	सदस्य
8–निदेशक,पशुपालन	सदस्य/सचिव

कार्य एवं दायित्व–

- उत्तराखण्ड चारा विकास बोर्ड की गठन करना एवं विभिन्न कार्यकारी पदो के सर्जन करने हेतु प्रस्तावो को अनमोदन प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड चारा विकास बोर्ड द्वारा भविष्य मे संचालित योजनाओ के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करना एवं सफलता पूवर्क कियन्वियन हेतु दिशार्निदेश प्रदान करना।
- मुख्यमंत्री चारा विकास नीति हेतु विभिन्न कार्यो लिए बजट के आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करना ।
- समय–2 पर उत्तराखण्ड चारा विकास बोर्ड के कार्यो का अनुश्रवण करना।

2–कोर समिति–

1–सचिव, पशुपालन	अध्यक्ष
2–निदेशक, पशुपालन	सदस्य
3–अपर निदेशक, मुख्यालय	सदस्य
4–सयुक्त निदेशक (दुग्ध विकास)	सदस्य
5–सयुक्त निदेशक, (,चारा)	सदस्य/सचिव
6–उप निदेशक (कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड)	सदस्य

कार्य एवं दायित्व–

- मुख्यमंत्री चारा विकास नीति के लिए पशुपालन विभाग मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप मे एवं दुग्ध विभाग, वन विभाग, कृषि मंडी, नाबार्ड सहायक कार्यदायी संस्था के रूप मे कार्य करेगे।

- कोर समिति द्वारा चारा उत्पादन से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करना एवं आवश्यक दिशार्निदेश प्रदान करना।
- समय–2 पर चारा उत्पादन योजनाओ का अनुश्रवण करना।

(ब) जनपद स्तर पर–

2–कियान्वयन समिति–	1–जिलाधिकारी	अध्यक्ष
	2–डी0एफ0ओ0	सदस्य
	3–सहायक निदेशक (दुग्ध विकास)	सदस्य
	4–मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
	5–डी0डी0एम0 नाबार्ड	सदस्य
	6–प्रगतिशील पशुपालक	सदस्य
	7–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य/सचिव

कार्य एवं दायित्व–

- कोर समिति द्वारा चारा उत्पादन से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्तावों का कियान्वयन करना एवं उनके समस्याओं का निराकरण करना।
- चारा उत्पादन हेतु विकास खण्डों को चिन्हित करना।
- कब्जामुक्त रिक्त भूमियों का सिंचाई विकल्पों के साथ चिन्हित करना।
- चारा क्षेत्रफल एवं चारा उत्पादन का अभिलेखीकरण।
- चारा उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तावों को अन्तिम रूप देना।

(स)विकासखण्ड स्तर पर–	1–उप–जिलाधिकारी	अध्यक्ष
	2–क्षेत्र प्रसार अधिकारी	सदस्य
	3–ए0डी0ओ0(कृषि)	सदस्य
	4–वन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
	5–प्रगतिशील किसान/पशुपालक	सदस्य
	6–पशुचिकित्साधिकारी (ग्रेड–1)	सदस्य/सचिव

कार्य एवं दायित्व–

- नाबार्ड/एन0जी0ओ0/निजि संस्था के सहयोग से चारा उत्पादन करने वाले अथवा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक प्रगतिशील कृषकों/स्वयं सहायता समूहो/पी0जी0 का चयन करना।
- चारा उत्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता का आंकलन करना।
- चयनित क्षेत्रों हेतु अनुकूल चारा फसलों का चुनाव करना।
- न्याय पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित करने हेतु रोस्टर तैयार करना।

मुख्यमंत्री चारा विकास नीति से लाभ–

उत्तराखण्ड की चारा नीति 2022–27 क्रियान्वित होने से निम्नलिखित लाभ होगे–

1. पशुधन के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 15–20 प्रतिशत की बृद्धि होगी जिससे देश की जी0एस0डी0पी0 में पशुधन सेक्टर से महत्पूर्ण योगदान होगा।
2. पशुधन के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार आयेगा तथा रोग–प्रतिरोधक क्षमता में बृद्धि होने के साथ–2 गर्भधारण दर में भी बृद्धि होगी।
3. फसलों की कटाई–मडाई के बाद लगभग 30 प्रतिशत चारे के रूप में होने वाली क्षति पर अंकुश लगेगा एवं प्रदूषण कम किया जा सकेगा। साथ ही भूमि की जैव उर्वरा शक्ति में बृद्धि होगी।
4. चारा उत्पादको की आय में बृद्धि के साथ–2 बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा तथा वर्ष भर हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
5. चारा उत्पादन की परम्परागत पद्धति में बदलाव होगा जिससे चारा उत्पादन पर लागत दर कम होगी।
6. प्रदेश में पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन के साथ–2 स्थायी एवं टिकाऊ डेयरी क्षेत्र का विकास होगा।
7. अकृषित भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा।
8. दैवी आपदा की स्थिति में चारे एवं भूसे के कमी की पूर्ति की जा सकेगी।

वित्तीय उपाशय का सारांश–

क0 सं0	योजना /कार्य का का नाम	वर्षवार आंकलित व्यय (रू0 लाख में)					
		2022–23	2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चार विकास कार्यक्रम का सघनी करण	116.00	150.00	184.00	250.00	300.00	1000.00
2	प्रति एकड हरा चारा उत्पादन मे अनुदान	400.00	600.00	800.00	1000.00	1200.00	4000.00
3	मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना मे दो निर्माण इकाई स्थापना	400.00					400.00
4	पशु आहार निर्माणशाला हेतु भूसे पर अनुदान एवं परिवहन–	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1750.00
5	कैटल फीड खरीद पर पशुपालक को अनुदान	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	6000.00
6	उद्यमिता विकास हेतु हे/साइलेज/टी0एम0आर0 / कोम्पैक्ट ब्लाक इकाई	30.00	60.00	90.00	90.00	120.00	390.00
7	चैफ–कटर एवं नादं निर्माण	38.00	45.00	60.00	105.00	127.00	375.00
8	दो सम्पीडित चारा ब्लाक निर्माणशाला	400.00					400.00
9	चार भूसा गोदामो की स्थापना	1000.00					1000.00

10	भूसा कय करने हेतु रिवाल्विंग फांड की स्थापना(4 स्थानो हेतु)	**250.00**					**250.00**
11	हरा चारा उत्पादन	**20.00**	**40.00**	**50.00**	**60.00**	**80.00**	**250.00**
12	राजकीय प्रेक्षेत्रो मे चारा बीज उत्पादन एवं निर्सरी	**75.00**					**75.00**
13	प्राकृतिक आपदा की स्थिति में चारे की आपूर्ति हेतु हैली पैडो के निकट चारा बैको	**300.00**					**300.00**
	महायोग	**–**					**रू0 16190.00लाख**

(रू सोलह हजार एक सौ नब्बे लाख मात्र)

	वर्षवार आंकलित व्यय (रू0 लाख में)					
(Capital Investment) Funded by RIDF	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**	**2025–26**	**2026–27**	कुल योग
2425	**2184.00**	**2455.00**	**2734.00**	**3045.00**	**3347.00**	**16190.00**

नोटः मुख्यमंत्री चारा विकास नीति की कुल धनराशि मे पूंजी सब्सिडी नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी जो लगभग रू 2425.00 लाख है।

संक्षिप्त अक्षर–

NGT -NATIONAL GREEN TRIBUNAL
NSC -NATIONAL SEED CORPORATION
MNREGA -MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
NABARAD -NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
KVK -KRISHI VIGYAN KENDRA
ULDB -UTTARAKHAND LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD
GSDP -GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT
NGO -NON GOVERNMENT ORGANIZATION
PG -PRODUCER GROUP
DFO -DISTRICT FOREST OFFICER